हुक्म	
1/11/19	पत्रावली पेश हुई। कहत वकील पक्ष 136 LR Act. पर प्रार्थी वकील को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मैनपुरा तहसील स०माधोपुर के खाता संख्या 117, 118 की राजस्व जमाबन्दी में व प्रबन्धी विभाग के जमाबन्दी में के बजाय बदरी पुत्र जयनारायण के बजाय बदरी पुत्र रूपनारायण दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने हाल खतौनी व जमाबन्दी के समर्थन में सम्वत् 2028 से 2031 की साबिक जमाबन्दी खाता संख्या 95 की जमाबन्दी पेश की, साबिक जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम बद्री S/o जयनारायण दर्ज है। साबिक जमाबन्दी के अनुसार बजाय नवीन खसरा नम्बरो के अनुसार हाल खसरा नम्बरो की भूमि खाता संख्या 117, 118 सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सवाई- माधोपुर से राजस्व अभिलेख के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब [signature] उप जिला कलेक्टर ... निरन्तर ...

तहसीलदार सवाई माधोपुर ...
तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक: LR/18/2540
दि. 22-11-18 द्वारा ग्राम पटवारी हल्का
मैनपुरा की रिपोर्ट सहित तथ्यात्मक
रिपोर्ट प्रस्तुत कर [illegible] किया
द्वारा वांछित में की गई त्रुटि को
दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।
इसलिए साथिक जमाबन्दी व तहसीलदार
द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक
रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 LR Act
स्वीकार किया जाना न्यायोचित
प्रतीत होता है। क्योंकि प्रार्थी की
वांछित की त्रुटि के कारण प्रार्थी
को कोई भी कृषि लाभ लेने से
वंचित हो रहा है। इसलिए [illegible]
विभाग द्वारा खतौनी के आधार
पर जमाबन्दी में हो रही त्रुटियों
को दुरुस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के
आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को
आदेशित किया जाता है कि
ग्राम मैनपुरा तहसील
को ...

...निरन्तर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो इस हु... में ज...
	सवाई माधोपुर के खाता संख्या 117, 118 सम्वत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी में कदरी S/o रूपनारायण के स्थान पर कदरी S/o जयनारायण के नाम की दुरुस्ती की जावे। निर्णय आज दिनांक 11-01-19 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काट होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	